



2026:AHC:165779

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26571 वर्ष 2026

वीरेंद्र चौहान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्ष(गण)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अमित कुमार सिंह
विपक्ष(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि थाना मुंडेरवा, जनपद बस्ती में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 64(1), 352, 351(3) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 142 वर्ष 2026 में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
3. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि प्रथम सूचनादाता को नोटिस तामील करा दिया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि शत्रुता के कारण आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है तथा वर्तमान मामले को दर्ज किए जाने से पूर्व आवेदक द्वारा प्रथम सूचनादाता और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथन में बलात्कार का कोई आरोप नहीं है, तथापि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके कथन में उसने कहा है कि आवेदक ने उसकी गुप्तांग में अपनी उंगली डाली। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि कक्षा सातवीं के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 16 वर्ष 3 माह पाई गई है, तथापि हाई स्कूल का कोई प्रमाण-पत्र अथवा उस विद्यालय का कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें पीड़िता ने सर्वप्रथम प्रवेश लिया था, तथा उसकी आयु निर्धारित करने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 22.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्षित होने की कोई संभावना नहीं है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि कक्षा सातवीं के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता लगभग 16 वर्ष की अवयस्क है।

6. आवेदक ने वर्तमान मामले को दर्ज किए जाने से पूर्व प्रथम सूचनादाता और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक द्वारा प्रथम सूचनादाता की लगभग 16 वर्ष की पुत्री के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने तथा उसकी लज्जा भंग करने का आरोप है। पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में कहा है कि आवेदक ने उसका लैंगिक उत्पीड़न किया, तथापि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में उसने कहा है कि आवेदक ने उसकी गुप्तांग में अपनी उंगली डाली। कक्षा सातवीं के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष 3 माह पाई गई है, हालाँकि, हाई स्कूल का कोई प्रमाण-पत्र अथवा उस विद्यालय का कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें पीड़िता ने सर्वप्रथम प्रवेश लिया था, तथा उसकी आयु निर्धारित करने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल परीक्षण नहीं कराया गया है। पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 22.06.2026 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत दिए जाने हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकृत किया जाता है।**

8. आवेदक **वीरेंद्र चौहान**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, को ₹50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने के लिए निर्धारित तिथियों पर।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जिस तिथि को साक्षी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, उस तिथि पर वह साक्ष्य के लिए कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

7 अगस्त, 2026

मधुरिमा

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।